राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान · नगरीय निकाय आम चुनाव 2026

# सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण संशोधित एवं संवर्धित संस्करण

## नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 — सेक्टर मजिस्ट्रेट के मतदान-पूर्व, मतदान-दिवस एवं मतदान-पश्चात दायित्व

- मतदान: 09.09.2026 (बुधवार) एवं 11.09.2026 (शुक्रवार) · प्रातः 7.00 से सांय 6.00 बजे
- मतगणना: 14.09.2026 · आदर्श आचार संहिता 27.08.2026 से प्रभावी
- मूल प्रस्तुति: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान — 119 स्लाइड

*यह मूल प्रस्तुति का पृष्ठ-दर-पृष्ठ संशोधित संस्करण है। जहाँ मूल स्लाइड नियम/आदेश से भिन्न थी, वहाँ सुधार किया गया है और अंतर उसी स्लाइड पर लिखा गया है। किसी भी विवाद में मूल आदेश ही अंतिम है।*

# इस संस्करण को कैसे पढ़ें — चार चिन्ह

नया

| चिन्ह | अर्थ | प्रशिक्षक क्या करे |
|---|---|---|
| सुधार | मूल स्लाइड पर छपी बात नियम/आदेश के विरुद्ध थी | पुराना पाठ बताकर सही पढ़ाएँ |
| नया | बात मूल में थी ही नहीं — छूटा हुआ आवश्यक बिन्दु जोड़ा गया | इसे छोड़ें नहीं |
| पूरक | मूल बात सही थी, पर अधूरी — विवरण जोड़ा गया | मूल पंक्ति में जोड़ पढ़ाएँ |
| (कोई नहीं) | मूल स्लाइड सही है | यथावत |

**झूठी त्रुटि उतनी ही हानिकारक है जितनी छूटी हुई त्रुटि**

जो पंक्तियाँ सही हैं उन्हें 'सुधार' कहकर बदलना पूरे सुधार-पत्रक की विश्वसनीयता गिरा देता है। जहाँ आधार नहीं मिला, वहाँ इस डेक में स्पष्ट लिखा है — 'सत्यापित नहीं'।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान; सुधार का आधार: नियम, आयोग-आदेश एवं मार्गदर्शिका

# इस चुनाव के स्थिर तथ्य — जो हर सेक्टर अधिकारी को कंठस्थ हों

नया

| विषय | तथ्य |
|---|---|
| मतदान | प्रथम चरण 09.09.2026 (बुधवार), द्वितीय चरण 11.09.2026 (शुक्रवार) |
| मतदान का समय | प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक |
| मतगणना | 14.09.2026 (सोमवार) |
| आदर्श आचार संहिता | 27.08.2026 (लोक सूचना की तिथि) से प्रभावी |
| सूखा दिवस | मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाले 48 घंटे, तथा मतगणना दिवस 14.09.2026 |
| पद | मतदान केन्द्र पर केवल एक पद — सदस्य (वार्ड); अध्यक्ष का निर्वाचन बाद में, निर्वाचित सदस्यों द्वारा |
| मशीन | ECIL MPSV/MPMV एवं BEL M3A — END बटन इस चुनाव में मास्क |

स्रोत: निर्वाचन कार्यक्रम — पत्र क्रमांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/6727, दिनांक 19.08.2026; सूखा दिवस — आदेश 7516, दिनांक 01.09.2026

प्रवेश

# मूल प्रस्तुति के बाद जारी हुए आदेश — जो उस पर भारी पड़ते हैं

नया

| आदेश | दिनांक | विषय |
|---|---|---|
| 7380 | 27.08.2026 | आदर्श आचार संहिता — इसी दिन से प्रभावी |
| 7381 | 27.08.2026 | मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश; पुनर्मतदान पर भी |
| 7296 | 27.08.2026 | पेड न्यूज — नगरपालिका एवं पंचायतीराज निर्वाचन |
| 7516 | 01.09.2026 | सूखा दिवस — 48 घंटे + मतगणना दिवस |
| 5579 | 06.08.2026 | वाहन, लाउडस्पीकर, पोस्टर-बैनर — 5041 (23.12.2025) को अधिक्रमित |

**कहाँ देखें**

आयोग के ULB पृष्ठ (General_ULB_2026.aspx) पर 06.08.2026 के बाद कुछ नहीं जुड़ा — ये आदेश केवल मुख्य पृष्ठ के 'Latest News' टिकर पर आए। केवल ULB पृष्ठ देखना अब पर्याप्त नहीं है।

स्रोत: LATEST_ORDERS (परियोजना-संकलित); मूल आदेश आयोग की वेबसाइट पर

01

# सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व-ढाँचा

मतदान-पूर्व · पूर्व-दिवस · मतदान-दिवस · मतदान-पश्चात

# कर्तव्य तीन स्तरों पर — यही पूरे प्रशिक्षण का ढाँचा है

1. **(अ) मतदान-पूर्व के उत्तरदायित्व**
   (i) Vulnerability Mapping · (ii) मतदान केन्द्र, मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन · (iii) मतदाता-पंजीकरण एवं मतदान हेतु जागरूकता
2. **(ब) मतदान के पूर्व-दिवस के दायित्व**
   दल एवं पुलिस बल का पहुँचना, सामग्री, शंका-समाधान, वीडियोग्राफर, 200 मीटर में दल/अभ्यर्थी का कार्यालय, नियंत्रण कक्ष को O.K. रिपोर्ट
3. **(स) मतदान-दिवस के दायित्व**
   मॉक पोल, भ्रमण, निगरानी, शिकायत-निस्तारण, सीलिंग एवं संग्रहण केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचाना

> **चौथा स्तर, जो मूल में अलग से नहीं गिनाया गया**
> मतदान समाप्ति के बाद की जाँच (पृ. 17) — डायरी, सीलिंग, 14-ग की प्रतियाँ, 14-क का मिलान। इसे भी अपने ढाँचे में चौथे स्तर की तरह याद रखें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 2)

# Vulnerability Mapping — सात काम, क्रम से

- **गहन भ्रमण** — जोन के प्रत्येक मतदान केन्द्र के समग्र क्षेत्र का भ्रमण करें।
- **बैठकें एवं सम्पर्क** — क्षेत्र के समुदायों तथा स्थानीय सूत्रों के साथ बैठकें कर सम्पर्क बनाए रखें।
- **चिन्हांकन** — भय एवं प्रताड़ना के स्रोत चिन्हित करें; घटनाओं एवं विद्यमान अन्देशों (current apprehensions) पर गौर करें।
- **परामर्श** — थानाधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनिक मजिस्ट्रेट व कर्मचारियों से परामर्श।
- **दल/प्रत्याशी की सूचना** — किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा भय-प्रताड़ना ग्रस्त इलाकों की सूचना मिले तो उस पर भी गौर कर तथ्य एकत्र करें।
- **नाम एवं विवरण** — जो व्यक्ति भय-प्रताड़ना का कारण हैं अथवा असम्यक असर डालते हैं, उनके नाम एवं विवरण एकत्र करें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 3–5)

# Vulnerability Mapping — क्या-क्या लिखकर रखना है

| सूची | उसमें क्या |
|---|---|
| (i) परिवार/घर | जो भय या प्रताड़ना से ग्रस्त हैं अथवा असुरक्षित महसूस करते हैं |
| (ii) व्यक्ति/तथ्य | जो भय-प्रताड़ना का कारण हैं या जिनके कारण मतदाता असुरक्षित हैं |
| (iii) कार्यवाही | ऐसे व्यक्तियों/तथ्यों पर की गई तथा प्रस्तावित कार्यवाही |
| (iv) सम्पर्क | संरक्षण हेतु सम्पर्क-व्यक्तियों के नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर |

**अपना नम्बर भी दें**

इन सम्पर्क-सूत्रों को आपात स्थिति में सहायता हेतु अपना मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराना — यह मूल स्लाइड की अपनी अपेक्षा है।

पूरक

# मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन — क्या सत्यापित करना है

- **रूट** — नक्शे पर दर्शाए गए रूट व्यावहारिक हैं — पहुँच और सुगमता सुनिश्चित करें।
- **ढाँचागत व्यवस्थाएँ** — पानी, छाया, रैम्प, टॉयलेट, दूरभाष तथा भवन की भौतिक स्थिति।
- **नए केन्द्र** — नए मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
- **सम्पर्क** — मतदान केन्द्र पर सम्पर्क हेतु मोबाइल/दूरभाष नम्बर की सूचना लें।
- **आदेश 641 से जोड़कर देखें** — केन्द्र पक्के भवन में हो; धार्मिक स्थल, अस्पताल या पुलिस थाना भवन में नहीं; एक भवन में 4 से अधिक केन्द्र नहीं; प्रवेश-निकास यथासंभव अलग; निशक्तजन हेतु रैम्प।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 7); मतदान केन्द्रों की स्थापना — क्रमांक 641, दिनांक 19.01.2026

# निगरानी एवं रिपोर्ट — क्या-क्या देखना है

पूरक

- **दल का कार्यालय** — देखें कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी दल का कार्यालय संचालित तो नहीं है।
- **वाहन** — प्रचार में अवैध रूप से लगे वाहनों के संचालन पर निगरानी — वाहन-सीमा: निगम पार्षद 3, परिषद पार्षद 2, पालिका सदस्य 1 (आदेश 5579)।
- **सम्पत्ति-विरूपण** — सम्पत्ति के विरूपण एवं अवैध चुनाव प्रचार पर निगरानी।
- **सरकारी संसाधन** — सरकारी भवनों, वाहनों एवं कर्मचारियों के दुरुपयोग पर निगरानी।
- **रिपोर्ट** — आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सभी संभावनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

**दूरी का भ्रम यहीं से शुरू होता है**

यह 200 मीटर 'दल के कार्यालय' के लिए है। अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ की दूरी अलग है — अगली स्लाइड की तालिका देखें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 8); वाहन/लाउडस्पीकर/पोस्टर प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 5579, दिनांक 06.08.2026

# 100 मीटर, 200 मीटर — कौन-सी दूरी किस चीज़ के लिए

नया

| दूरी | किस चीज़ पर रोक | स्रोत |
|---|---|---|
| **100 मीटर** | मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार | आदेश 1016 |
| **100 मीटर** | अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ — मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से इतनी दूरी के भीतर स्थापित नहीं होगा | आदेश 1016, प्रतिबन्ध (1) |
| **100 मीटर** | मतदान केन्द्र के भीतर या उससे इतनी दूरी में मत-याचना — दण्डनीय, बिना वारंट गिरफ्तारी | धारा 130 |
| **200 मीटर** | कट-आउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री का प्रदर्शन | अधिसूचना 5041, पैरा 6 |
| **200 मीटर** | किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय (मूल डेक पृ. 8 व 10) | मूल डेक |

**एक अभ्यास याद रखें**

प्रचार और बूथ = 100 मीटर। पोस्टर-बैनर-होर्डिंग = 200 मीटर। धारा 130 की शास्ति अधिकतम ₹250 है (आदेश 1016 में उद्धृत मूल पाठ: 'अधिकतम ढाई सौ रुपये')।

स्रोत: अभ्यर्थी-बूथ एवं प्रचार-प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 1016, दिनांक 27.01.2026; प्रतिबंध अधिसूचना क्रमांक 5041, दिनांक 23.12.2025 (पैरा 6)

# मतदाताओं के प्रति दायित्व — जागरूकता

- **सूचना** — मतदान केन्द्रों के स्थान तथा हैल्पलाइनों के बारे में मतदाताओं को अवगत कराना।
- **सम्पर्क** — मतदाताओं तथा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों से निरन्तर सम्पर्क।
- **प्रोत्साहन** — स्वतंत्र एवं निर्भय होकर, बिना किसी लोभ-लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।
- **वातावरण** — किसी कार्यकर्ता/अभ्यर्थी के लालच या प्रलोभन में न आने का वातावरण बनाना।
- **प्रचार** — मतदान के लिए रिश्वत या उपहार लेना कानून के विरुद्ध है और अपराध है — यह प्रचारित करना।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 9)

# मतदान के पूर्व-दिवस के दायित्व — छह जाँचें

1. **दल पहुँचा या नहीं**
   मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुँच गए हैं और समस्त सामग्री उनके पास उपलब्ध है।
2. **पुलिस बल**
   सुरक्षा योजना (Security Plan) के अनुरूप पुलिस बल पहुँच गया है।
3. **शंका-समाधान**
   वोटिंग मशीन के संचालन या मतदान प्रक्रिया की कोई शंका हो तो उसका समाधान करना।
4. **वीडियोग्राफर**
   जहाँ वीडियो/फोटोग्राफी होनी है, वहाँ वीडियोग्राफर/सुपरवाइज़र पहुँच गया है।
5. **200 मीटर की जाँच**
   मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि में किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय तो नहीं है।
6. **O.K. रिपोर्ट**
   नियंत्रण कक्ष को O.K. रिपोर्ट भेजना।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 10); वीडियोग्राफी निर्देश — क्रमांक 187, दिनांक 06.01.2026

# मॉक पोल का समय एवं अभिकर्ता-प्रतीक्षा का नियम

पूरक

1. **समय**
   बनावटी मतदान, मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा।
2. **यदि एक भी अभिकर्ता नहीं / केवल एक**
   मतदान दल 15 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा।
3. **फिर भी न आए**
   बनावटी मतदान सम्पन्न कर मशीन की सीलिंग कर ली जाएगी तथा नियत समय पर मतदान प्रारम्भ होगा — मतदान रोका नहीं जाएगा।

**यह नियम केवल इसी डेक में मिलता है**

मार्गदर्शिका में मॉक पोल का कोई घड़ी-समय या न्यूनतम अभिकर्ता-संख्या विहित नहीं है; वहाँ केवल 75 मिनट पूर्व पहुँचना और 1 घंटा पूर्व मशीन-तैयारी दी है। '60 मिनट पूर्व + 15 मिनट प्रतीक्षा' आयोग की इसी प्रस्तुति का निर्देश है — इसी को पढ़ाएँ और RO के निर्देश से मिला लें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 11 एवं 71); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026

# मॉक पोल प्रमाणन — जोनल मजिस्ट्रेट क्या एकत्र करेगा

- **सूचना एकत्र करना** — मतदान प्रारम्भ होने के समय तक जोनल मजिस्ट्रेट उन सभी केन्द्रों की सूचना एकत्र करेंगे जहाँ बनावटी मतदान या तो एक ही अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ, या कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं था।
- **बार-बार भ्रमण** — ऐसे केन्द्रों पर बार-बार भ्रमण एवं निगरानी; मतदान प्रारम्भ होने के बाद इसकी सूचना देना।
- **पुलिस बल** — सुनिश्चित करें कि केन्द्र पर लगाया गया पुलिस बल तैनात है।
- **मशीन बदलवाना** — जहाँ आवश्यक हो वहाँ वोटिंग मशीन RO द्वारा बदलवाना — RO को आरक्षित वोटिंग मशीन भी रखनी है।

> **क्यों यह मद महत्वपूर्ण है**
> अभिकर्ता की अनुपस्थिति में हुआ मॉक पोल बाद में विवाद का सबसे बड़ा बिन्दु बनता है। इसीलिए ऐसे केन्द्र चिन्हित कर उन पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 12–13)

# मतदान के दौरान — निगरानी के चार बिन्दु

- **अभिकर्ता** — मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निगरानी रखते हुए रिपोर्ट करना।
- **सहयोग** — मतदान केन्द्र के भीतर प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल को सहयोग करना।
- **शुद्धता** — भ्रमण के समय देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है।
- **समग्र निगरानी** — मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 14)

# अभ्यर्थी के बूथ की दूरी, और अवैध वाहन

सुधार

- **अभ्यर्थी का बूथ** — मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी के भीतर अभ्यर्थी अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा — एक ही परिसर में कई केन्द्र हों तो भी हर केन्द्र के प्रवेश द्वार से यही दूरी।
- **बूथ कैसा हो** — अधिकतम एक मेज व दो कुर्सियाँ; छाता या 10×10 फीट तक का टेन्ट; केवल एक बैनर, 2×5 फीट से बड़ा नहीं, जिस पर चित्र/चुनाव चिन्ह/नारा नहीं।
- **अवैध वाहन** — कोई वाहन अवैध रूप से मतदाताओं को लाने-ले जाने का काम कर रहा हो तो तुरन्त संबंधित पुलिस मोबाइल पार्टी/थाने को कार्यवाही हेतु सूचित करना।

> **मूल स्लाइड से अंतर**
>
> मूल पृ. 15 कहता है कि अभ्यर्थियों के बूथ 'मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर दूर' रहें। आदेश 1016 का प्रतिबन्ध (1) 100 मीटर कहता है, और वह दूरी 'प्रवेश द्वार' से नापी जाती है। 200 मीटर वाली परिधि पोस्टर-बैनर-होर्डिंग के लिए है (अधिसूचना 5041, पैरा 6) — दोनों को मिलाएँ नहीं।

स्रोत: अभ्यर्थी-बूथ एवं प्रचार-प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 1016, दिनांक 27.01.2026 (प्रतिबन्ध 1); वाहन/लाउडस्पीकर/पोस्टर प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 5579, दिनांक 06.08.2026

# मतदान-दिवस के शेष सात दायित्व

- **मतदान प्रतिशत** — उच्चाधिकारी द्वारा यथा-निर्दिष्ट समय-समय पर मतदान प्रतिशत अवगत कराना।
- **शिकायतें** — मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतों का निपटारा।
- **सीलिंग पर निगरानी** — मतदान दलों द्वारा वोटिंग मशीन की सीलिंग तथा कागजात की तैयारी पर निगरानी।
- **संग्रहण केन्द्र** — मतदान दलों को वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुँचाना।
- **प्रतिस्थापन** — आवश्यकता पर आरक्षित दलों से कार्मिक प्रतिस्थापित करना या सहयोग हेतु लगाना।
- **विजिट शीट** — भ्रमण के समय मतदान केन्द्र में रखी विजिट शीट में इन्द्राज कर हस्ताक्षर करना।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 16)

पूरक

# मतदान समाप्ति के बाद — पाँच जाँचें

1. **डायरी**
   पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-7) समुचित रूप से भरी गई है — 30 मदें, घटनाएँ तत्समय दर्ज।
2. **सीलिंग**
   वोटिंग मशीनें समुचित रूप से मुहरबन्द हैं (आदेश 560 / सां.आ. 145-2026 के सात निर्देशों के अनुसार)।
3. **14-ग की प्रतियाँ**
   प्ररूप 14-ग की प्रतियाँ उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई हैं।
4. **रजिस्टर**
   प्ररूप 14-क का रजिस्टर समुचित रूप से भरा गया है।
5. **मिलान**
   मतों की संख्या प्ररूप 14-क तथा कंट्रोल यूनिट के TOTAL बटन के आधार पर समान है।

> **एक और मिलान जो जोड़ लें**
> 14-ग की मद 6 का सूत्र: मद 5 (मशीन) = मद 2 (रजिस्टर) − मद 3 (No Vote) − मद 4 (अनुज्ञात न किए गए)। यदि यह न बैठे तो कोई प्रविष्टि गलत है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 17); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026

# भय-प्रताड़ना ग्रस्त मतदाता — चिन्हांकन एवं अनुवर्तन

1. **चिन्हांकन**
   पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं की जानकारी दी जाएगी; चिन्हित मतदाता सूची के साइड-मार्जिन में उनके नामों के सामने ऊपर से नीचे लाइन खींचकर दर्शाया जाएगा।

2. **हर भ्रमण पर**
   जोनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक भ्रमण पर इन मतदाताओं द्वारा वोट देने या न आने की सूचना प्राप्त करेगा — यह सूचना चिन्हित सूची के टिक (✓) मार्क से मिल जाती है।

3. **दो बार भ्रमण**
   सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाइल पार्टी ऐसे परिवारों/क्षेत्रों में तथा धमकाने की संभावना वाले इलाकों में मतदान दिवस को कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे।

4. **बड़ी अनुपस्थिति पर**
   यदि ऐसे मतदाता काफी संख्या में वोट देने नहीं आए हैं तो विशेष दल भेजकर पता लगाया जाएगा कि कोई अवरोध तो नहीं है, और उपाय किए जाएँगे।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 18–19)

# बूथ पर पहुँचकर सेक्टर अधिकारी क्या-क्या देखे — एक जाँच-सूची

नया

| क्या देखें | सही स्थिति |
|---|---|
| मॉक पोल | परिशिष्ट-19 प्रमाण-पत्र भरा व हस्ताक्षरित; मॉक पोल के मत CLEAR किए गए |
| सीलिंग | पिंक पेपर सील पर PRO के पूर्ण हस्ताक्षर व क्रमांक नोट; स्ट्रिप सील का क्रमांक दिखता हो |
| CLOSE बटन | कैप लगी हो और विशेष टैग उसे ढके नहीं — CLOSE दबाना सुलभ रहे |
| रजिस्टर | 14-क में हस्ताक्षर/अँगूठा तथा अभ्युक्ति स्तम्भ में पहचान-दस्तावेज के अंतिम 4 अंक |
| स्याही | बाईं तर्जनी पर, नख छूती हुई — BALLOT दबाने से पहले जाँची जा रही है |
| अभिकर्ता | एक अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्ता भीतर; बैज लगा; चुनाव चिन्ह वाला बैज नहीं |
| 100 मीटर | परिधि में कोई प्रचार नहीं; अभ्यर्थी-बूथ प्रवेश द्वार से 100 मीटर से बाहर |
| विजिट शीट | अपने भ्रमण का इन्द्राज एवं हस्ताक्षर |

स्रोत: पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026; ईवीएम उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जाँच — क्रमांक 2184, दिनांक 26.02.2026; मतदान केन्द्रों की स्थापना — क्रमांक 641, दिनांक 19.01.2026

02

# निर्वाचन अपराध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 · भारतीय न्याय संहिता 2023

# धारा 126, 129 एवं 130 — प्रचार, प्रभाव और 100 मीटर

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 126 | मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से पूर्व 48 घंटों की अवधि में चुनाव सभाओं, जुलूसों, सिनेमा/टीवी पर प्रचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से चुनाव प्रचार पर रोक |
| 129 | चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष/विपक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का कृत्य |
| 130 | मतदान केन्द्र में और उससे 100 मीटर की दूरी तक प्रचार — बिना वारंट गिरफ्तारी संभव; शास्ति अधिकतम ₹250 |

**48 घंटे कब से कब तक**

प्रथम चरण — 07.09.2026 सांय 6.00 बजे से 09.09.2026 सांय 6.00 बजे तक; द्वितीय चरण — 09.09.2026 सांय 6.00 बजे से 11.09.2026 सांय 6.00 बजे तक (आदेश 7516)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 20); अभ्यर्थी-बूथ एवं प्रचार-प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 1016, दिनांक 27.01.2026

# धारा 131, 132 एवं 133 — उच्छृंखलता, हटाना, वाहन

| धारा | अपराध / शक्ति |
|---|---|
| 131 | कोई व्यक्ति उच्छृंखल आचरण करे तो उसे तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाया जा सकता है |
| 132 | मतदान केन्द्र में उच्छृंखलता या कानूनी निर्देशों की अवहेलना पर उस व्यक्ति को पुलिस/अधिकृत व्यक्ति द्वारा हटवाया जा सकता है; बिना अनुमति पुनः प्रवेश पर गिरफ्तारी भी |
| 133 | मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का गैर-कानूनी ढंग से किराये पर लेना |

### धारा 133 पर एक व्यावहारिक बात

पीठासीन/सेक्टर अधिकारी के पास वाहन रोकने की सकारात्मक शक्ति नहीं है — शिकायतकर्ता को FIR दर्ज कराने को कहें, और वाहन-अनुमति (प्ररूप 'ख' तथा मतदान दिवस हेतु RO की पृथक लिखित अनुमति) की जाँच कराएँ।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 21); वाहन/लाउडस्पीकर/पोस्टर प्रतिबंध — आदेश क्रमांक 5579, दिनांक 06.08.2026

# धारा 134, 134-क एवं 134-ख — अवहेलना, एजेंट, शस्त्र

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 134 | चुनाव अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यवाही की अवहेलना |
| 134-क | सरकारी कर्मचारी का किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट होना |
| 134-ख | पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कानून-व्यवस्था देख रहे अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र में कोई शस्त्र नहीं ले जा सकता |

**134-ख — सेक्टर अधिकारी के लिए सबसे उपयोगी धारा**

शस्त्र-निषेध की जाँच केन्द्र के प्रवेश पर ही सम्भव है। संदेह हो तो तत्काल पुलिस को बुलाएँ — यह अपराध संज्ञेय है, और मतदान रोके बिना व्यक्ति को हटाया जा सकता है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 22)

# धारा 135-क, 135-ख एवं 135-ग — बूथ कैप्चरिंग, अवकाश, शराब

| धारा | विषय |
|---|---|
| 135-क | बूथ कैप्चरिंग — दण्डनीय अपराध |
| 135-ख | मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश, ताकि वे मत दे सकें |
| 135-ग | मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि में शराब का बेचना, वितरण या दिया जाना |

> **इस चुनाव की तिथियाँ**
> सार्वजनिक अवकाश — दोनों मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में, कलक्टर द्वारा घोषित (आदेश 7381)। सूखा दिवस — 48 घंटे की दोनों अवधियाँ तथा मतगणना दिवस 14.09.2026 (आदेश 7516)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 23); आदेश 7516 एवं 7381

सुधार

# भारतीय न्याय संहिता 2023 — प्रतिरूपण एवं असम्यक असर

| धारा | अपराध / शास्ति |
|---|---|
| **BNS 172** | निर्वाचन में प्रतिरूपण — किसी अन्य व्यक्ति के नाम से (जीवित या मृत) या कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन या मत देना; एक बार मत देने के बाद पुनः अपने नाम से आवेदन; ऐसा करने का दुष्प्रेरण भी |
| **BNS 174** | निर्वाचन में असम्यक असर या प्रतिरूपण — एक वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों |

### मूल स्लाइड से अंतर

मूल पृ. 24 में धाराएँ '172. घ' और '174. च' लिखी हैं। ये उप-अक्षर निरसित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-घ / 171-च के अवशेष हैं — भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे उप-खण्ड हैं ही नहीं। सही उल्लेख: BNS की धारा 172 तथा धारा 174। विवरण दोनों का सही है, केवल संख्या-लेखन ठीक करना है।

03

# रवानगी एवं ईवीएम की जाँच

दल का गठन · सामग्री · CU-BU की जाँच · त्रुटि-संदेश

# रवानगी के समय — चार काम

1. **दल का गठन**
   मतदान दल के सदस्यों से परिचय प्राप्त कर दल को एकजुट करना।
2. **सामग्री संग्रहण**
   मतदान से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री भली-भाँति एकत्रित करना।
3. **दिशा-निर्देश**
   सम्पूर्ण दल को मतदान केन्द्र की सटीक जानकारी देना।
4. **प्रस्थान**
   निर्धारित मार्ग एवं निर्धारित बस द्वारा मतदान स्थल के लिए सुरक्षित रवानगी।

> **पीठासीन का कार्य-प्रवाह**
> मूल पृ. 25 का प्रवाह: नियुक्ति एवं प्रशिक्षण → रवानगी → मतदान केन्द्र पर स्थापना एवं मॉक पोल → मतदान → समापन → संग्रहण (सामग्री जमा)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 25–26)

# ईवीएम की जाँच — भाग 1: क्रमांक, टैग और सील

पूरक

- **क्रमांक मिलान** — आवंटित मशीन (कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट) के क्रमांक का मिलान उस बूथ के लिए निर्धारित ईवीएम के क्रमांक से करें।
- **टैग एवं सील** — मशीन पर लगे समस्त टैगों की जाँच करें तथा पिंक पेपर सील देखें कि वह टूटी हुई तो नहीं है।
- **सील टूटी हो तो** — तुरंत बदलवाएँ — व्यवहार में इसका अर्थ है कि जिस यूनिट की सील टूटी है, वही यूनिट बदलवाई जाती है; सील अकेली नहीं बदली जाती।
- **कहाँ दर्ज होगा** — मशीन के क्रमांक तीन जगह मिलने चाहिए — पीठासीन की डायरी (परि-7 मद 5), प्ररूप 14-ग का शीर्ष-भाग, और सीलिंग के समय एड्रेस टैग।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 27); ईवीएम उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जाँच — क्रमांक 2184, दिनांक 26.02.2026

# ईवीएम की जाँच — भाग 2: बटन, स्लाइड स्विच, बैटरी

सुधार

- **बटन की स्थिति** — बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों एवं नोटा के बटन अनछुए (unmasked) हों तथा शेष बटन MASK हों। समस्त BU का END बटन MASK होना चाहिए।
- **स्लाइड स्विच** — BU पर स्लाइड स्विच की स्थिति जाँचें — एक ही BU हो तो स्थिति 1; सही न हो तो परिवर्तन कराएँ।
- **बैटरी — MPSV/MPMV** — CU पर बैटरी का प्रदर्शन 'HIGH' मोड में होना चाहिए।
- **बैटरी — M3A** — M3A मशीनों में बैटरी 95 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

> **मूल स्लाइड से अंतर**
> मूल पृ. 28 दोनों कसौटियाँ मिलाकर लिखता है — 'HIGH मोड (MPSV/MPMV में 95% से अधिक)'। ये दो अलग मशीनों की दो अलग कसौटियाँ हैं: MPSV/MPMV में HIGH मोड देखा जाता है, और M3A में 95% से अधिक। इसी डेक का पृष्ठ 33 इन्हें सही-सही अलग करके दिखाता है।

# रवानगी के समय पावर-ऑन जाँच — क्रम से

1. **दिनांक एवं समय**
   डिस्प्ले पैनल पर दिनांक एवं समय का मिलान करें।
2. **LINK ERROR / BU NOT RESPONDING**
   CU एवं BU के कनेक्शन हटाकर पुनः जोड़ें; एक से अधिक BU हों तो उनका अनुक्रम (sequence) सही करें।
3. **फिर भी वही संदेश**
   संबंधित BU को परिवर्तित करवाएँ।
4. **CLOCK ERROR**
   CU परिवर्तित करवाएँ — किन्तु मध्यप्रदेश के स्वामित्व वाली MPMV मशीन में CU नहीं बदलना है।
5. **अभ्यर्थी-संख्या**
   CU पर प्रदर्शित अभ्यर्थियों की संख्या और BU के मतपत्र पर अभ्यर्थियों की संख्या समान होनी चाहिए।
6. **अंत में**
   CU को OFF करना न भूलें। कोई भी संदेह हो तो वितरण के समय ही अधिकृत अधिकारियों से चर्चा कर समाधान करें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 30–31)

# त्रुटि-संदेश और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

| CU पर प्रदर्शन | मशीन | प्रक्रिया |
|---|---|---|
| LINK ERROR / BU NOT RESPONDING | सभी | पुनः कनेक्ट करें; कई BU हों तो अनुक्रम सही करें |
| फिर भी वही संदेश | सभी | संबंधित BU परिवर्तित करवाएँ |
| CLOCK ERROR | M3A | CU परिवर्तित करें |
| CLOCK ERROR | MPMV (म.प्र.) | CU परिवर्तित न करें — पंचनामा तैयार करें |
| बैटरी HIGH मोड | MPSV/MPMV | HIGH हो तो CU न बदलें, अन्यथा बदलें |
| बैटरी 95% से अधिक | M3A | 95% से अधिक हो तो CU न बदलें, अन्यथा बदलें |
| SDMM NOT RESPONDING | MPSV | CU परिवर्तित करवाएँ |
| अभ्यर्थी-संख्या CU व BU पर | दोनों | समान हो तो न बदलें, अन्यथा मशीन बदलें |

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 32–33)

# मशीन कब कौन-सी बदली जाती है — पूरी श्रृंखला

नया

| कब | क्या बदलें | साथ में क्या |
|---|---|---|
| रवानगी/वितरण के समय | दोषपूर्ण यूनिट | वितरण स्थल पर ही अधिकृत अधिकारी से समाधान |
| मॉक पोल के दौरान | केवल खराब यूनिट | नई यूनिट के साथ मॉक पोल पूर्ण करें |
| वास्तविक मतदान के दौरान | पूरा सेट (CU + BU) | नई मशीन पर पुनः मॉक पोल + परिशिष्ट-6 भाग-2 की घोषणा |
| CLOCK ERROR — मतदान के दौरान | कुछ नहीं | मतदान जारी; पंचनामा बनाएँ |

### सेक्टर अधिकारी की भूमिका

मशीन RO द्वारा बदलवाई जाती है और RO को आरक्षित मशीन रखनी है (मूल पृ. 13)। मशीन बदलने की लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी तथा RO के रजिस्टर में दर्ज होगी (आदेश 2184) — यह देखना सेक्टर अधिकारी का काम है।

स्रोत: ईवीएम उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जाँच — क्रमांक 2184, दिनांक 26.02.2026 (पृ. 8, 10); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 5(8))

04

# मतदान केन्द्र की स्थापना

ले-आउट · पोस्टर · अभिकर्ता · मतदाता सूची

# मतदान केन्द्र का ले-आउट

- **अधिकारियों की स्थिति** — पीठासीन अधिकारी (PRO) के साथ प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी (PO-1, PO-2, PO-3) व्यवस्थित रूप से बैठेंगे।
- **प्रवेश व निकास** — मतदाताओं के लिए प्रवेश व निकास की पृथक व्यवस्था; वोटिंग कम्पार्टमेंट अलग एकांत में।
- **उचित दूरी** — वोटिंग कम्पार्टमेंट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए।
- **केबल सुरक्षा** — CU से BU को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले; केबल कम्पार्टमेंट के नीचे के छिद्र से निकाली जाए।
- **गोपनीयता** — कोई मतदाता केबल से छेड़छाड़ न करे; मशीन खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 36–38); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (परिशिष्ट-5)

पूरक

# मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित किए जाने वाले पोस्टर

- **विवरण** — मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी व BLO का नाम एवं मोबाइल नंबर।
- **अभ्यर्थी सूची** — प्ररूप 6 में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची तथा मतदाताओं हेतु DO'S–DONT'S की सूची।
- **पहचान व प्रक्रिया** — पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों की सूची तथा 'मतदान कैसे किया जाए' का पोस्टर।
- **पहचान-सूची अद्यतन रखें** — मान्य दस्तावेज अब आदेश 5310 (30.07.2026) से तय होते हैं — EPIC प्राथमिक, तथा 11 वैकल्पिक मूल फोटोयुक्त दस्तावेज। पुराना आदेश 603 अधिक्रमित हो चुका है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 39); पहचान-दस्तावेज: आदेश 5310, दिनांक 30.07.2026

# मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति — प्ररूप 9

पूरक

1. **नियुक्ति पत्र**
   मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप 9 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी।
2. **सहमति**
   प्ररूप 9 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के सहमति-स्वरूप हस्ताक्षर होंगे।
3. **पीठासीन के समक्ष**
   अभिकर्ता को मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे — यह गोपनीयता की घोषणा है, और पीठासीन उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
4. **संख्या**
   प्रत्येक अभ्यर्थी 1 अभिकर्ता + 2 रिलीवर नियुक्त कर सकता है, किन्तु किसी भी समय भीतर एक अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्ता रहेगा।

स्रोत: नियम 26(3) व 26(5); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 3)

# अभिकर्ता से जुड़े प्रतिबंध एवं आवागमन

- **कौन नहीं बन सकता** — सरकारी सेवारत व्यक्ति, मंत्री, या राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- **समय** — अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 1 घंटा पूर्व प्रवेश कर सकेंगे।
- **मतदाता सूची** — वे मतदाता सूची की प्रति बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
- **बैठने की प्राथमिकता** — मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता → मान्यता प्राप्त राज्य-स्तरीय दलों के → निर्दलीय अभ्यर्थियों के।
- **बैज** — प्रवेश-अनुमत अभिकर्ता को बैज दिया जाएगा; उस पर अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होगा (धारा 130 का उल्लंघन)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 42, 44); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026

# मतदान केन्द्र में प्रवेश — नियम 29 की पूरी सूची

पूरक

- **दल एवं लोक सेवक** — मतदान अधिकारी तथा कर्तव्य पर तैनात लोक सेवक।
- **अभ्यर्थी-पक्ष** — प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, और एक समय में एक मतदान अभिकर्ता।
- **आयोग-प्राधिकृत** — निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।
- **अन्य** — मतदाता की गोद का छोटा बच्चा; दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाता का साथी; तथा पहचान हेतु पीठासीन द्वारा बुलाया गया व्यक्ति।
- **मीडिया** — अधिस्वीकृत पत्रकार को DEO का प्रवेश-पत्र हो तो भी — बूथ के भीतर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं और मोबाइल फोन भी भीतर नहीं (आदेश 1259)।

स्रोत: नियम 29; पत्रकार-प्रवेश एवं फोटोग्राफी निषेध — क्रमांक 1259, दिनांक 03.02.2026

# कार्यकारी मतदाता सूची — कितनी प्रतियाँ, क्या-क्या

- **प्रतियों की संख्या** — एक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कुल तीन कार्यकारी प्रतियाँ प्राप्त होंगी (आदेश 898, दिनांक 23.01.2026)।
- **प्रमुख घटक** — प्रत्येक सेट में एकीकृत मूल मतदाता सूची (Integrated Mother Roll) तथा अनुपूरक सूची शामिल होगी।
- **प्रमाणीकरण** — प्रत्येक प्रति के साथ ERO का प्रमाण-पत्र तथा हर पृष्ठ पर ERO के हस्ताक्षर व सील — तभी वह प्रमाणित प्रति मानी जाएगी।
- **स्थिरता** — नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन-समाप्ति तक सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता।

स्रोत: मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियाँ — क्रमांक 898, दिनांक 23.01.2026; मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 45–47)

# सूची में विलोपन और संकेत — इन्हें पढ़ना आना चाहिए

| संकेत | अर्थ |
|---|---|
| DELETED | जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनके आगे मूल सूची में यह मुद्रित होता है — ऐसे व्यक्ति मत नहीं दे सकते |
| E / S / Q / R / M | पूरक सूची के कारण-कोड: Expired, Shifted, Disqualified, Repeat, Missing |
| **PB / EDC** | जिन मतदाताओं के आगे यह अंकित है, उन्हें उस केन्द्र में मतदान की अनुमति नहीं होगी — वे डाक मतपत्र या EDC से मत देंगे |
| क्रम संख्या | हटाए गए नाम पर भी मुद्रित क्रम संख्या नहीं बदली जाती — इसीलिए रजिस्टर 14-क का स्तम्भ 2 सूची की क्रम संख्या है |

> **EDC वाला मतदाता कहाँ मत देगा**
> EDC (प्ररूप-16) धारक उसी वार्ड के जिस केन्द्र पर ड्यूटी पर है, वहीं मत दे सकता है; भिन्न वार्ड/निकाय में ड्यूटी होने पर उसे डाक मतपत्र जारी होता है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 48–49)

05

# मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

PO-1 · PO-2 · PO-3 — कौन क्या करेगा

नया

# PO-1 / PO-2 / PO-3 — कर्तव्यों का विभाजन, एक पृष्ठ पर

| | प्रथम (PO-1) | द्वितीय (PO-2) | तृतीय (PO-3) |
|---|---|---|---|
| **किसका प्रभारी** | चिन्हित मतदाता सूची | मतदाता रजिस्टर (14-क) एवं अमिट स्याही | कंट्रोल यूनिट (CU) |
| **मुख्य कार्य** | पहचान; प्रविष्टि जोर से पढ़ना; नाम के नीचे रेखा | स्याही, रजिस्टर-प्रविष्टि, हस्ताक्षर/अँगूठा | पर्ची लेना, स्याही जाँचना, BALLOT दबाना |
| **मतदाता पर्ची** | जारी नहीं करता | पर्ची बनाकर जारी करेगा | पर्ची लेकर क्रम से मतदान कराएगा |
| **चुनौती** | उद्घोषणा के समय ही ली जा सकती है | — | पर्चियाँ समाप्ति पर लिफाफा E-3 में |

**यह पूरा चार्ट मूल डेक में कहीं नहीं है**

मूल प्रस्तुति तीनों अधिकारियों को अलग-अलग पृष्ठों पर दिखाती है, पर एक साथ नहीं — और मतदाता पर्ची किसका काम है, इस पर वह मार्गदर्शिका से भिन्न पड़ती है (अगली स्लाइड)।

सुधार

# प्रथम मतदान अधिकारी — मुख्य उत्तरदायित्व

- **पहचान सत्यापन** — आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना।
- **अमिट स्याही की जाँच** — सुनिश्चित करना कि मतदाता की बाएँ हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान पहले से न हो।
- **उद्घोषणा** — प्रविष्टि का पूरा विवरण जोर से पढ़ना — अभिकर्ता इसी क्षण पहचान को चुनौती दे सकते हैं, बाद में नहीं।
- **चिन्हांकन** — पहचान होने पर नाम के नीचे रेखा; महिला मतदाता के नाम के बाईं ओर ✓; थर्ड जेंडर पर * ।

> **मूल स्लाइड से अंतर**
> मूल पृ. 50 का तीसरा बिन्दु 'सफेद पर्ची जारी करना' PO-1 को सौंपता है। मार्गदर्शिका के 2026 कार्य-विभाजन (अध्याय 2) में मतदाता पर्ची PO-2 बनाकर जारी करता है — PO-1 का काम पहचान तक सीमित है। यही क्रम इसी डेक के पृष्ठ 57 से भी मेल खाता है, जहाँ PO-3 पर्ची 'प्राप्त' करता है।

# चिन्हित प्रति में निशान — कहाँ और कौन-सा

सुधार

| किसके लिए | कौन-सा निशान | कहाँ |
|---|---|---|
| पहचान हो गई | नाम के नीचे रेखा | चिन्हित प्रति में प्रविष्टि पर |
| **महिला मतदाता** | टिक (✓) | नाम के बाईं ओर |
| **थर्ड जेंडर** | स्टार (*) | नाम के बाईं ओर |
| फोटो पहचान पत्र से पहचान | 'E' | नाम के बाईं ओर |
| साथी की सहायता वाला मतदाता | 'AA' | क्रम संख्या पर |

### मूल स्लाइड से अंतर

मूल पृ. 51 महिला मतदाता का ✓ 'क्रमांक पर' लगवाता है और थर्ड जेंडर का * बताता ही नहीं। मार्गदर्शिका में ✓ नाम के बाईं ओर लगता है और थर्ड जेंडर के लिए * है। यह चूक सीधे डायरी की मद 12 (पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर/योग) को गलत कर देती है।

# विशेष स्थितियाँ — त्रुटि, दृष्टिबाधित, दस्तावेज

- **मुद्रण-त्रुटि** — मुद्रण में आयु, लिंग या नाम की मामूली त्रुटि होने पर भी, पहचान पुख्ता होने पर मत देने दें।
- **PRO का दायित्व** — ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी संतुष्टि का कारण लिखित रूप में अंकित करेगा तथा चिन्हित प्रति में स्याही से नोट करेगा।
- **दृष्टिबाधित मतदाता** — साथी (Companion) की सहायता वाले मतदाताओं की क्रम संख्या पर 'AA' अंकित करें।
- **EPIC से पहचान** — फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान होने पर नाम के बाईं ओर 'E' अंकित किया जाए।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 52); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 6(1))

# द्वितीय मतदान अधिकारी — स्याही, रजिस्टर, पर्ची

पूरक

1. **स्याही की जाँच**
   मतदाता के बाएँ हाथ की तर्जनी का निरीक्षण कि उस पर पहले से कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है।
2. **स्याही लगाना**
   बाईं तर्जनी पर, नख के बिल्कुल ऊपर नख को छूते हुए; कम से कम 30 सेकंड सूखने दें। महिला मतदाता की अँगुली छूनी नहीं है।
3. **रजिस्टर प्रविष्टि**
   प्ररूप 14-क में क्रम संख्या, मतदाता सूची की क्रम संख्या तथा पहचान पत्र के अंतिम 4 अंक दर्ज करना।
4. **हस्ताक्षर/अँगूठा**
   साक्षर मतदाता के हस्ताक्षर; असमर्थ होने पर बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप; अँगूठा न होने पर दाहिने हाथ का अँगूठा या अन्य अँगुली की छाप।
5. **पर्ची**
   इसके बाद मतदाता पर्ची बनाकर मतदाता को जारी करना।

स्रोत: नियम 35-क; आदेश 1408, दिनांक 04.02.2026; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 2)

# तृतीय मतदान अधिकारी — कंट्रोल यूनिट का प्रभारी

पूरक

1. **पर्ची संग्रहण**
   मतदाता से सफेद पर्ची प्राप्त कर क्रमबद्ध सुरक्षित रखना।
2. **स्याही की जाँच**
   BALLOT बटन दबाने से पहले सुनिश्चित करना कि अँगुली पर स्याही का निशान पूरी तरह लगा है — यह आदेश 1408 की अपेक्षा है।
3. **BALLOT**
   पर्ची जारी होने के क्रम में ही CU का BALLOT बटन दबाना।
4. **बीप तक रोकना**
   मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को कम्पार्टमेंट में रोकना।
5. **समाप्ति पर**
   एकत्रित पर्चियाँ लिफाफा E-3 में सीलबन्द करना।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 56–57); आदेश 1408 (पैरा 2)

06

# प्रपत्रों की सूची

पीठासीन अधिकारी के प्ररूप एवं परिशिष्ट

# प्ररूप 9 से 16-घ तक — क्या किस काम आता है

| प्ररूप | उपयोगिता |
|---|---|
| 9 / 10 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति / नियुक्ति का प्रतिसंहरण |
| 12 | दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची |
| 13 | चुनौती (आक्षेपित) मतों की सूची |
| 14-क / 14-ख | मतदाताओं का रजिस्टर / निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची |
| 14-ग | रिकार्ड किये गये मतों का लेखा |
| 15 / 15-क / 16 | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन / डाक मतपत्र हेतु आवेदन / निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र |
| 16-क से 16-घ | डाक मतपत्र — घोषणा, लिफाफा 'क', लिफाफा 'ख', तथा निर्वाचकों के लिए अनुदेश |

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 58–60); नियमावली के विहित प्ररूप

# परिशिष्ट 6 से 15-A — और एक जो सूची में छूट गया

सुधार

| परिशिष्ट | उपयोगिता |
|---|---|
| 6 | पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, नई मशीन पर, तथा मतदान के अन्त में की गई घोषणाएँ |
| 7 | पीठासीन अधिकारी की डायरी (30 मदें) |
| 9 / 10 / 11 | थानाधिकारी को शिकायती पत्र / आयु की घोषणा / आयु-घोषणा करने वालों की सूची |
| 12 / 13 | साथी द्वारा घोषणा / चैलेन्ज फीस रसीद बुक |
| 14 / 15 / 15-A | कार्यों की रूपरेखा / चैक मेमो / लिफाफों का बूथवार विवरण |
| **19 — छूटा हुआ** | मॉक पोल प्रमाण-पत्र — परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न होकर बिना सील लिफाफा E-10 में, तथा डायरी की मद 30 में उल्लेख |

**मूल स्लाइड से अंतर**

मूल पृ. 58–61 की 24-मद वाली सूची परिशिष्ट-15-A पर समाप्त हो जाती है — परिशिष्ट-19 (मॉक पोल प्रमाण-पत्र) उसमें है ही नहीं, जबकि वह हर बूथ पर, हर बार भरा जाता है। इसे सूची में क्रम 25 के रूप में जोड़ें।

07

# संक्षिप्त प्रस्तुति — पोलिंग पार्टी एवं ईवीएम

मूल डेक का दूसरा भाग (पृष्ठ 62 से)

# पोलिंग पार्टी की मुख्य जिम्मेदारी

- **निष्पक्षता** — मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखना।
- **दस्तावेजीकरण** — पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक चरण का दस्तावेजीकरण करना।
- **सुरक्षा** — ईवीएम, प्रपत्र, सील एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

> **सेक्टर अधिकारी के लिए इसका अर्थ**
> भ्रमण के समय यही तीन कसौटियाँ देखें — प्रक्रिया चल कैसे रही है, कागज बन कैसे रहे हैं, और सामग्री सुरक्षित है या नहीं।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 63–64)

# ईवीएम की दो यूनिट — पहचान

- **बैलेट यूनिट (BU)** — मतदाता द्वारा उम्मीदवार का बटन दबाने हेतु — मतदान कम्पार्टमेंट में रहती है।
- **कंट्रोल यूनिट (CU)** — मतदान नियंत्रण, कुल मत एवं परिणाम संबंधी कार्य — पीठासीन अधिकारी की मेज पर रहती है।
- **प्राप्ति पर** — प्राप्त यूनिट पर क्रमांक, एड्रेस टैग और सील की जाँच करें।
- **इस चुनाव की विशेष बात** — मतदान केन्द्र पर केवल एक पद (सदस्य) का चुनाव है — इसलिए एक CU + एक BU का एक ही सेट; अभ्यर्थी अधिक हों तभी अतिरिक्त BU।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 65); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026

# मतदान केन्द्र पर सामग्री प्राप्ति — तीन जाँचें

1. **सही केन्द्र की मशीन**
   सत्यापित करें कि BU/CU उसी मतदान केन्द्र के लिए हैं या नहीं।
2. **सील की पहचान**
   पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग एवं अन्य सील की पहचान करें।
3. **विसंगति**
   किसी भी विसंगति को तुरंत संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाएँ — बूथ पर पहुँचकर पकड़ना बहुत देर हो जाना है।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 66); ईवीएम उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जाँच — क्रमांक 2184, दिनांक 26.02.2026

# मतदान-पूर्व ईवीएम की तैयारी

- **कनेक्शन** — इंटरकनेक्टिंग केबल द्वारा BU और CU को निर्धारित क्रम में जोड़ें — कनेक्ट/डिस्कनेक्ट सदैव CU के स्विच-ऑफ रहते।
- **सील की जाँच** — Ballot Paper की स्थिति और Candidate Section की सील जाँचें।
- **स्लाइड स्विच** — BU की संख्या/क्रम और स्लाइड स्विच की स्थिति निर्देशानुसार सुनिश्चित करें।
- **Result Section** — निर्धारित प्रक्रिया से खोलें; Power ON करने पर बीप/ग्रीन Ready संकेत एवं प्रारंभिक प्रदर्शन देखें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 67–68); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अध्याय 5)

# CLEAR प्रक्रिया — शून्य दिखाना

- **उद्देश्य** — CLEAR दबाकर मशीन में पूर्व-रिकॉर्डेड मतों को शून्य करें — यह अभिकर्ताओं को दिखाने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई मत दर्ज नहीं।
- **सावधानी** — CLEAR प्रक्रिया के दौरान CU को बीच में OFF न करें।
- **पुष्टि** — डिस्प्ले पर अपेक्षित क्रम पूरा होने की पुष्टि करें (END तक)।
- **त्रुटि आए तो** — INVALID / INOPERATIVE की स्थिति में CRC (CLOSE – RESULT – CLEAR) प्रक्रिया के अनुसार जाँच करें।
- **महत्वपूर्ण** — ईवीएम त्रुटि में मनमाने ढंग से बटन/स्विच न दबाएँ।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 69–70); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 5)

08

# मॉक पोल

समय · क्रम · परिणाम-मिलान · प्रमाण-पत्र

# मॉक पोल का समय एवं अभिकर्ता

- **समय** — मॉक पोल सामान्यतः मतदान शुरू होने से एक घंटे पूर्व किया जाता है।
- **अभिकर्ता न हों तो** — यदि कोई/एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो तो 15 मिनट प्रतीक्षा; फिर भी न आएँ तो मॉक पोल पूर्ण कर सीलिंग करें और नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।
- **प्रमाण-पत्र** — मॉक पोल के बाद प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19) तैयार कर हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- **सेक्टर अधिकारी** — जिन केन्द्रों पर मॉक पोल बिना अभिकर्ता या एक ही अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ, उनकी सूचना एकत्र कर विशेष निगरानी रखें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 11 एवं 71)

# मॉक पोल का सही क्रम — नौ चरण

सुधार

1. **शून्य दिखाएँ**
   अभिकर्ताओं की उपस्थिति में CLEAR कर मशीन में शून्य मत प्रदर्शित करें।
2. **मत डलवाएँ**
   BALLOT दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में नमूना मत डलवाएँ — नोटा सहित प्रत्येक के लिए कम से कम एक मत अनिवार्य।
3. **संकेत देखें**
   BALLOT पर BU की Ready लाइट व CU की Busy लाइट; बटन दबाने पर लाल लाइट/बीप की पुष्टि।
4. **लेखा रखें**
   सभी मॉक पोल मतों का कागज पर रिकॉर्ड रखें।
5. **TOTAL**
   बीच-बीच में TOTAL दबाकर संख्या मिलाएँ (केवल Busy बुझी अवस्था में)।
6. **CLOSE**
   मॉक पोल समाप्त होते ही CLOSE दबाएँ — इसके बिना RESULT नहीं आएगा।
7. **RESULT-I एवं मिलान**
   RESULT-I से परिणाम देखें और कागज के लेखे से मिलान कर अभिकर्ताओं को दिखाएँ।
8. **CLEAR**
   मिलान के बाद CLEAR दबाकर सभी मॉक पोल मत शून्य करें; END दिखने पर CU स्विच-ऑफ करें।
9. **प्रमाण-पत्र**
   परिशिष्ट-19 भरकर हस्ताक्षर लें; फिर सीलिंग।

**मूल स्लाइड से अंतर**

मूल पृ. 74 सीधे 'RESULT बटन दबाकर परिणाम देखें' कहता है — बीच का CLOSE चरण छूटा हुआ है। CLOSE दबाए बिना RESULT दबाने पर मशीन INVALID OPERATION देगी। सही क्रम: TOTAL → CLOSE → RESULT-I → मिलान → CLEAR।

स्रोत: पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अध्याय 4); मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 72–76)

# मॉक पोल में विशेष सावधानियाँ

- **संख्या में लचीलापन** — समय की उपलब्धता के अनुसार मतों की संख्या में लचीलापन हो सकता है; हर अभ्यर्थी को बराबर मत देना आवश्यक नहीं।
- **न्यूनतम** — नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम 1 मॉक पोल मत आवश्यक है।
- **CLEAR अनिवार्य** — मॉक पोल के सभी मत वास्तविक मतदान से पहले CLEAR होने ही चाहिए।
- **प्रमाण-पत्र कहाँ** — परिशिष्ट-19 को परिशिष्ट-6 की घोषणाओं के साथ संलग्न कर बिना सील लिफाफा E-10 में रखें, तथा डायरी की मद 30 में विवरण लिखें।

> **यदि CLEAR भूल गए और मतदान शुरू हो गया**
> स्वयं कोई निर्णय न लें — तुरंत RO को सूचित करें। मॉक पोल के मत मशीन में रह जाना गंभीर स्थिति है।

स्रोत: पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 4); मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 75–76)

# पिंक पेपर सील एवं वास्तविक मतदान की तैयारी

- **मिलान के बाद** — मॉक पोल परिणाम का रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद मशीन को वास्तविक मतदान हेतु तैयार करें।
- **सील लगाना** — सील के निर्धारित भागों को क्रमशः मोड़कर चिपकाएँ; परिणाम अनुभाग को निर्धारित सील से सुरक्षित करें।
- **हस्ताक्षर** — स्ट्रिप सील के उपयोग से पहले पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें, तथा उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएँ।
- **ABCD स्ट्रिप** — पिंक पेपर सील एवं ABCD स्ट्रिप सील की प्रक्रिया पूर्ण करें — सील का क्रमांक स्पष्ट दिखता रहे।

> **सेक्टर अधिकारी क्या जाँचे**
> CLOSE बटन की कैप लगी हो और विशेष टैग उसे ढके नहीं — मतदान समाप्ति पर CLOSE दबाना सुलभ रहना चाहिए। सील का क्रमांक अभिकर्ताओं को नोट कराया गया है या नहीं, यह भी पूछें।

09

# वास्तविक मतदान एवं विशेष स्थितियाँ

मतदान · खराबी · चैलेंज · टेंडर · गोपनीयता · समाप्ति

# मतदान प्रारंभ एवं मूल प्रक्रिया

- **अनुमति** — मतदाता की पहचान सत्यापन के बाद ही उसे मतदान की अनुमति दें; मतदान कक्ष में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो।
- **क्रम** — मतदाता को निर्धारित क्रम से मतदान कराएँ — पर्ची जारी होने का क्रम ही मतदान का क्रम है।
- **BALLOT के बाद** — BALLOT बटन के बाद BU पर उम्मीदवार का चयन कराया जाता है।
- **पुष्टि** — मतदान पूर्ण होने पर संबंधित संकेत/बीप की पुष्टि करें — तब तक मतदाता कम्पार्टमेंट में रहे।
- **गोपनीयता** — हर मतदाता के मत की गोपनीयता बनाए रखें।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 79–80); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026

# मतदान के दौरान ईवीएम खराबी

- **यूनिट बदलना** — किसी एक BU/CU के खराब होने पर निर्देशानुसार संबंधित यूनिट/पूरा सेट बदलें।
- **पुनः मॉक पोल** — नई मशीन/सेट लगाने के बाद पुनः मॉक पोल प्रक्रिया की जाए — यह अनिवार्य है।
- **घोषणा एवं डायरी** — नई मशीन पर परिशिष्ट-6 भाग-2 की अतिरिक्त घोषणा पढ़ें और डायरी की मद 29 में उत्तर दें।
- **CLOSE की सावधानी** — Close बटन को आकस्मिक दबने से बचाने के लिए विशेष सावधानी रखें।
- **CLOCK / LINK ERROR** — CLOCK ERROR पर निर्देशानुसार कार्रवाई; LINK ERROR में केबल कनेक्शन एवं BU sequence जाँचें।

> **सूचना अभ्यर्थियों को भी**
> मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाए तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी, और RO के रजिस्टर में दर्ज होगी (आदेश 2184)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 81–82); ईवीएम उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जाँच — क्रमांक 2184, दिनांक 26.02.2026; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 5(8))

# आक्षेपित (चैलेंज) मत — प्रक्रिया

1. **चुनौती कौन दे**
   मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है — पहचान की उद्घोषणा के समय ही, बाद में नहीं।
2. **₹2 पहले**
   पीठासीन अधिकारी निर्धारित चुनौती राशि ₹2 लेकर परिशिष्ट-13 की रसीद जारी करता है — राशि जमा हुए बिना चुनौती स्वीकार नहीं।
3. **संक्षिप्त जाँच**
   पहले चुनौतीकर्ता को प्रथम-दृष्ट्या प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर; फिर मतदाता को खण्डन का — दोनों शपथ पर।
4. **निर्णय**
   चुनौती सिद्ध/असिद्ध होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान की अनुमति या निषेध; प्ररूप-13 में PRO का आदेश कारण सहित।
5. **अभिलेख**
   प्ररूप-13 → लिफाफा E-7 (सीलबन्द); रसीद बुक → E-14; डायरी मद 13।

स्रोत: नियम 43; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 6(2)); मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 83–84)

पूरक

# ₹2 कब जब्त, कब वापस — यह उल्टा लगता है

| स्थिति | मतदान | ₹2 का क्या |
|---|---|---|
| चुनौती तुच्छ (frivolous) अथवा सद्भावपूर्वक नहीं की गई | मत देगा | जब्त — प्रतिपर्ण पर 'जब्त' लिखें |
| चुनौती सही सिद्ध हो गई (मतदाता फर्जी निकला) | मत नहीं देगा | वापस — प्राप्ति लेकर लौटाएँ |
| चुनौती सिद्ध नहीं हो सकी | मत देगा | वापस — प्राप्ति लेकर लौटाएँ |

**गलती यहीं होती है**

राशि झूठी चुनौती को दण्डित करने के लिए है, सच्ची को पुरस्कृत करने के लिए नहीं — इसलिए झूठी चुनौती पर जब्त, सच्ची पर भी वापस। नियम 43(5) और आयोग का अपना डेक दोनों यही कहते हैं; मार्गदर्शिका अ. 6(2) का एक वाक्य इनसे अलग पड़ता है और विवाद में नियम ऊपर है।

# आयु संबंधी घोषणा

पूरक

- **आधार** — मतदाता सूची में नाम दर्ज प्रत्येक निर्वाचक मतदान का अधिकारी है — पात्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
- **कब** — यदि आयु 18 वर्ष से कम होने की शंका हो तो परिशिष्ट-10 में निर्धारित घोषणा प्राप्त करें।
- **किस तिथि की आयु** — घोषणा अर्हता-तिथि (नामावली की 1 जनवरी) को 18 वर्ष होने की है — आज की आयु की नहीं।
- **इन्कार करे तो** — इन्कार दर्ज करें, पर मत देने से न रोकें; संख्या डायरी की मद 17 में।
- **अभिलेख** — घोषणाएँ एवं सूची (परि-10, परि-11) → लिफाफा E-14 (बिना सील)।

> **प्रपत्र पर छपा पुराना लेबल**
> परिशिष्ट-10 पर 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959' छपा मिलेगा — वह अधिनियम निरसित है; पढ़ें अधिनियम 2009, धारा-संख्या 15 वही है। विहित प्रपत्र पर काट-छाँट न करें, मौखिक रूप से स्पष्ट करें।

स्रोत: पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 6(3), परिशिष्ट 10–11); राज. नगरपालिका अधिनियम 2009, धारा 15

पूरक

# PB / EDC द्वारा मतदान

- **कौन** — चुनाव ड्यूटी पर कार्मिक निर्धारित आवेदन (प्ररूप 15 / 15-क) के माध्यम से PB/EDC प्राप्त कर सकते हैं।
- **EDC कहाँ चलेगा** — उसी वार्ड के जिस केन्द्र पर ड्यूटी है, वहीं मशीन से मत; भिन्न वार्ड/निकाय में ड्यूटी हो तो डाक मतपत्र।
- **चिन्हित प्रति** — PB या EDC मार्क वाले मतदाता को उस केन्द्र में मतदान की अनुमति नहीं — यह PO-1 को देखना है।
- **अभिलेख** — EDC (प्ररूप-16) संग्रह कर लिफाफा E-8 (सीलबन्द); डायरी मद 14।
- **PRO का कर्तव्य** — प्ररूप 16-क की घोषणा का अनुप्रमाणन — मतपत्र न देखें, न पूछें कि मत किसे दिया।

स्रोत: नियम 46, 46-क; डाक मतपत्र संकलन (1451/1459/1891), 24.08.2026

# दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाता

पूरक

- **प्राथमिकता** — दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता एवं आवश्यक सुविधा दें।
- **व्हीलचेयर** — व्हीलचेयर को मतदान केन्द्र परिसर के अंदर तक ले जाने की व्यवस्था।
- **साथी** — आवश्यक होने पर 18 वर्ष से अन्यून आयु के साथी को साथ ले जाने की अनुमति।
- **साथी की शर्तें** — एक व्यक्ति एक दिन में केवल एक ही निर्वाचक का साथी बन सकता है; परिशिष्ट-12 में घोषणा देगा कि मत गुप्त रखेगा।
- **अभिलेख** — प्ररूप-12 (सूची) + परिशिष्ट-12 (घोषणाएँ) → लिफाफा E-14 (बिना सील); डायरी मद 15 एवं 19।

> **केवल निरक्षरता आधार नहीं**
> साथी की अनुमति केवल दृष्टिहीनता या अंग-शिथिलता पर मिलती है — पढ़ना न आना अपने आप में आधार नहीं है।

# टेंडर (निविदत्त) वोट

पूरक

1. **कब**
   यदि किसी मतदाता के नाम पर पहले ही मतदान हो चुका हो और उसकी पहचान सही हो, तो निर्धारित प्रक्रिया में टेंडर वोट की अनुमति दी जा सकती है।
2. **पहले प्रविष्टि**
   पहचान का समाधान और बाईं तर्जनी पर स्याही के बाद प्ररूप 14-ख में प्रविष्टि व मतदाता के हस्ताक्षर — तभी मतपत्र जारी।
3. **मतपत्र की तैयारी**
   टेंडर मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी आवश्यक अंकन करे — पीठ पर 'निविदत्त मतपत्र' की मोहर तथा सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर।
4. **मत एवं जमा**
   मतदाता एरोक्रॉस सील से चिन्ह लगाकर मुड़ा मतपत्र PRO को देगा → लिफाफा E-5।
5. **मात्रा एवं लेखा**
   प्रत्येक केन्द्र को 20 निविदत्त मतपत्र मिलते हैं; लेखा 14-ग की मदें 7–8; सूची 14-ख → E-6; अप्रयुक्त → E-4।

स्रोत: नियम 44-क; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 8(1)); प्ररूप 14-ख

# गोपनीयता, और मत न देने का निर्णय

पूरक

- **गोपनीयता** — हर मतदाता के मत की गोपनीयता बनाए रखें।
- **मत न देने का निर्णय** — मत न देने का निर्णय लेने वाले मतदाता को मतदान हेतु बाध्य न करें; रजिस्टर में आवश्यक टिप्पणी करें।
- **पहले नोटा की ओर** — इस चुनाव में END बटन मास्क है, अतः पहले उसे नोटा में मत डालने के लिए प्रेरित करें; फिर भी न डाले तो रजिस्टर 14-क में 'No Vote' लिखें — संख्या 14-ग की मद 3 में (नियम 45-क)।
- **प्रक्रिया न माने तो** — चेतावनी के बाद भी मतदान-प्रक्रिया का पालन न करने पर मत की अनुमति नहीं (नियम 37-क) — पर्ची वापस लेकर रद्द करें, अभ्युक्ति में कारण व PRO के पूरे हस्ताक्षर; संख्या 14-ग की मद 4 में।

> **मद 3 बनाम मद 4**
> मद 3 — मतदाता ने स्वयं मत न देने का निर्णय किया। मद 4 — पीठासीन अधिकारी ने रोका। दोनों अलग हैं और 14-ग के मिलान (मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4) में अलग-अलग गिने जाते हैं।

स्रोत: नियम 45-क एवं 37-क; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (मु.पृ. 3); प्ररूप 14-ग

# मतदान समाप्ति — पंक्ति पहले, घड़ी बाद में

- **पर्चियाँ बाँटें** — समय समाप्ति पर उपस्थित मतदाताओं को निर्धारित पर्चियों के माध्यम से मतदान का अवसर दें — पंक्ति के अंतिम छोर से, PRO के हस्ताक्षर व क्रम संख्या सहित।
- **उसके बाद** — पर्ची बँट जाने के बाद कोई पंक्ति में नहीं जुड़ेगा; पर्ची-धारकों का मतदान समय के बाद भी पूरा कराया जाएगा।
- **घोषणा** — अंतिम मतदाता के बाद मतदान समाप्ति की घोषणा करें।
- **हस्ताक्षर** — मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आवश्यक हस्ताक्षर करवाएँ (परिशिष्ट-6 भाग-3, दिनांक व समय सहित)।
- **विलम्ब से शुरू हुआ हो तो** — समाप्ति का समय फिर भी नहीं बढ़ेगा।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 90); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 11)

# कुल मत, सीलिंग एवं जमा

1. **CLOSE एवं मिलान**
   CLOSE के बाद TOTAL से कुल मतों का मिलान करें और रजिस्टर 14-क से सत्यापित करें; संख्या तत्काल 14-ग की मद 5 में लिखें।

2. **अलग करना**
   CU को OFF कर लिंकिंग केबल हटाएँ; CU/BU को पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।

3. **मुद्राबन्दी**
   कैरिंग बॉक्स सील कर एड्रेस टैग लगाएँ — टैग पर निकाय का नाम, वार्ड सदस्य संख्या, यूनिट का पहचान नम्बर, केन्द्र का नाम-संख्यांक और मतदान की तारीख।

4. **एजेंटों के हस्ताक्षर**
   उपस्थित एवं इच्छुक अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं को एड्रेस टैगों पर हस्ताक्षर की अनुमति दें।

5. **जमा**
   RO के पास/संग्रहण केन्द्र पर जमा करें — अंतिम जमा से पहले प्रत्येक लिफाफा, सील और प्रपत्र की जाँच करें।

स्रोत: सां.आ. 145/2026 (आदेश क्रमांक 560), दिनांक 16.01.2026; मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 91)

10

# लिफाफे एवं विहित प्रपत्र

E-1 से E-14 · रिक्त प्ररूप एवं परिशिष्ट

# आठ सीलबन्द लिफाफे — E-1 से E-8

| लिफाफा | अन्तर्वस्तु |
|---|---|
| E-1 | निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति |
| E-2 | मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14-क) |
| E-3 | प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ |
| E-4 / E-5 | अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र / प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र |
| E-6 | निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप 14-ख) |
| E-7 | अभ्याक्षेपित (चैलेंज) मतों की सूची (प्ररूप-13) |
| E-8 | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप-16) |

**पैकेट-नियम**

E-1 से E-6 का अलग पैकेट बनेगा। सीलिंग अभ्यर्थी/अभिकर्ता की उपस्थिति में — वे अपनी सील भी लगा सकते हैं। ये लिफाफे न्यायालय-आदेश के बिना नहीं खोले जा सकते।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 92); नियम 48-क; पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (परिशिष्ट-15A)

# छह बिना-सील लिफाफे — E-9 से E-14

| लिफाफा | अन्तर्वस्तु |
|---|---|
| E-9 | मतपत्र लेखा एवं पेपर सील का लेखा (14-ग) — लिफाफे पर 'Account of Votes Recorded' लिखना अनिवार्य |
| E-10 | पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएँ (परि-6) एवं मॉक पोल प्रमाण-पत्र (परि-19) |
| E-11 | पीठासीन अधिकारी की डायरी (परि-7) + 14-ग की दूसरी प्रति |
| E-12 | सांख्यिकी/आँकड़ों की सूचना |
| E-13 | अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ |
| E-14 | विविध कागजात — प्ररूप 9/10, प्ररूप-12 व साथी-घोषणाएँ, आयु-घोषणाएँ (परि-10/11), रसीद बुक, अप्रयुक्त सीलें व टैग |

**तीन बातें जो अक्सर छूटती हैं**

सूचना शून्य हो तो भी हर लिफाफा बनेगा — प्रपत्र पर 'शून्य' लिखकर। सब लिफाफों पर चपड़ी नहीं लगती। और डायरी E-11 में जाती है, पर सीलबन्द मशीन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में बंद नहीं होगी — वह RO/ARO की अभिरक्षा में रहेगी (आदेश 858)।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 93); नियम 49-क(2); पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026 (अ. 13)

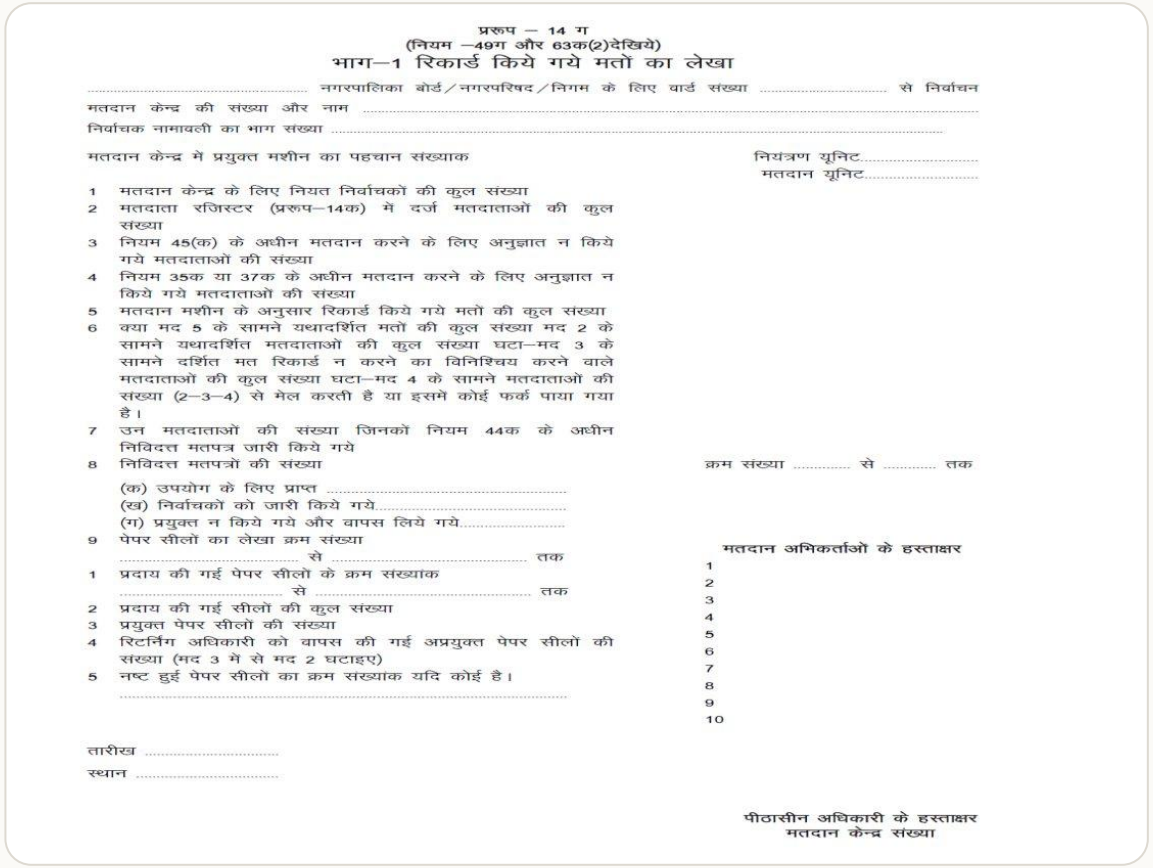
# जमा कराने के तीन काउंटर

नया

1. **काउंटर-1 · स्ट्रॉन्ग रूम**
   सीलबन्द CU एवं BU तथा लिफाफे E-9, E-10, E-11, E-12 — ये चारों बिना-सील लिफाफे मशीन के साथ यहीं जमा होंगे।
2. **काउंटर-2 · लिफाफे**
   सीलबन्द E-1 से E-8 (E-1–E-6 का अलग पैकेट) तथा बिना-सील E-13 एवं E-14।
3. **काउंटर-3 · सामग्री**
   पीतल की सील, अमिट स्याही, एरोक्रॉस सील, सुभिन्नकारी मोहर, डमी बैलेट शीट, अप्रयुक्त यूनिट आदि।

> **सेक्टर अधिकारी का अंतिम काम**
> हर काउंटर से रसीद लेकर ही दल को हटने दें, और रास्ते में कहीं न रुकने की हिदायत दें — मतदान दलों को मशीन सहित संग्रहण केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचाना आपकी ही जिम्मेदारी है (मूल पृ. 16)।

# प्ररूप 14-ग — रिकार्ड किये गये मतों का लेखा



प्ररूप — 14 ग
(नियम —49ग और 63क(2)देखिये)
भाग—1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

..... नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए वार्ड संख्या ..... से निर्वाचन
मतदान केन्द्र की संख्या और नाम .....
निर्वाचक नामावली का भाग संख्या .....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक — नियंत्रण यूनिट..... मतदान यूनिट.....

1 मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2 मतदाता रजिस्टर (प्ररूप—14क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3 नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
4 नियम 35क या 37क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
5 मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या
6 क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2—3—4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
7 उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये
8 निविदत्त मतपत्रों की संख्या — क्रम संख्या ..... से ..... तक
(क) उपयोग के लिए प्राप्त .....
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये.....
(ग) प्रयुक्त न किये गये और वापस लिये गये.....
9 पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या
..... से ..... तक
1 प्रदाय की गई पेपर सीलों के क्रम संख्यांक
..... से ..... तक
2 प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या
3 प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या
4 रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)
5 नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है।
.....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

तारीख .....
स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या

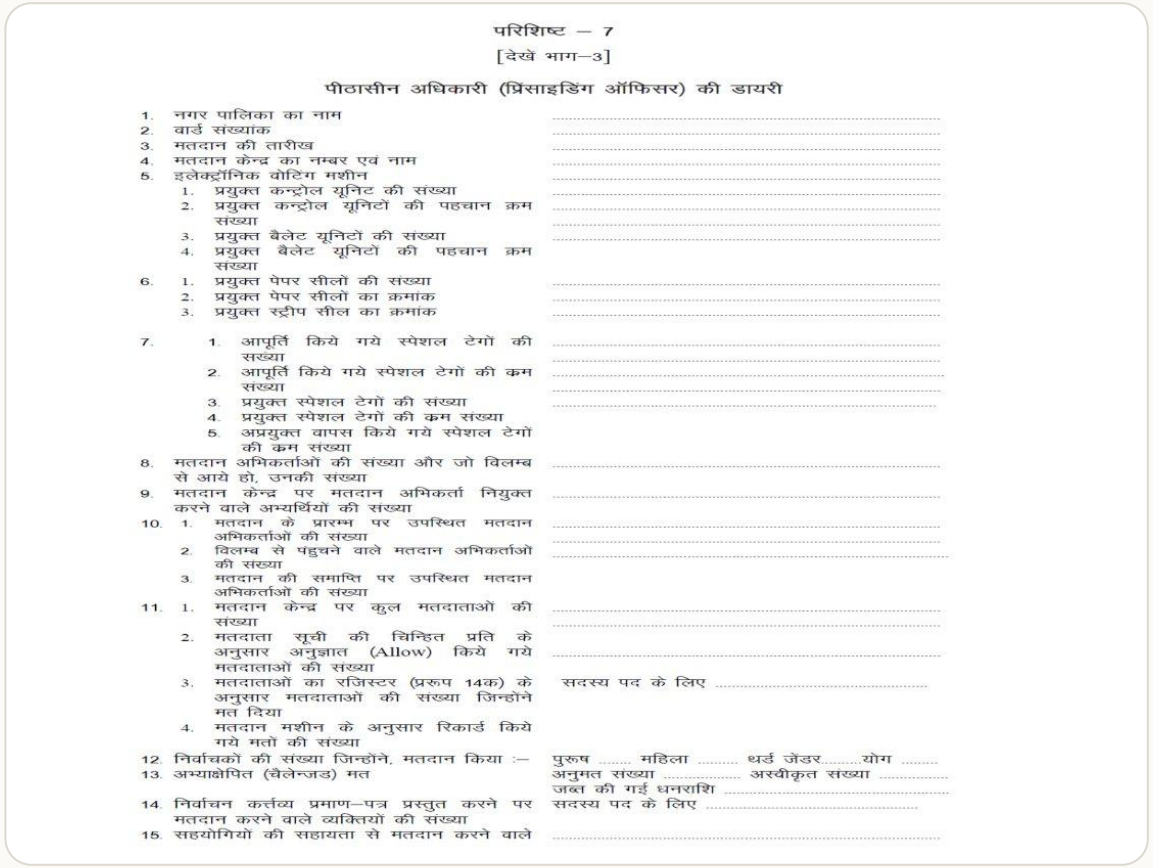
**मूल डेक का रिक्त प्ररूप 14-ग — भाग 1**

- **कौन, कब** — पीठासीन अधिकारी, मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद।
- **मिलान** — मद 5 (मशीन) = मद 2 − मद 3 − मद 4।
- **दो प्रतियाँ** — एक E-9 में, दूसरी डायरी के साथ E-11 में।
- **अभिकर्ता** — माँगने पर प्रमाणित प्रति देनी है।

> **मद 9(4) का छपा निर्देश उल्टा है**
> पेपर सील की मद 9(4) पर '(मद 3 से मद 2 घटाइए)' छपा मिलता है — सही गणना मद 9(2) − मद 9(3) है।

स्रोत: नियम 49-क; मूल डेक पृ. 101–102 (रिक्त प्ररूप)

# परिशिष्ट-7 — पीठासीन अधिकारी की डायरी



परिशिष्ट — 7

[देखें भाग—3]

पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

1. नगर पालिका का नाम .....
2. वार्ड संख्याक .....
3. मतदान की तारीख .....
4. मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम .....
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन .....
   1. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट की संख्या .....
   2. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या .....
   3. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की संख्या .....
   4. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या .....
6. 1. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या .....
   2. प्रयुक्त पेपर सीलों का क्रमांक .....
   3. प्रयुक्त स्ट्रीप सील का क्रमांक .....
7. 1. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की संख्या .....
   2. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की क्रम संख्या .....
   3. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की संख्या .....
   4. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की क्रम संख्या .....
   5. अप्रयुक्त वापस किये गये स्पेशल टेगों की क्रम संख्या .....
8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हो, उनकी संख्या .....
9. मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या .....
10. 1. मतदान के प्रारम्भ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या .....
    2. विलम्ब से पहुचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या .....
    3. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या .....
11. 1. मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या .....
    2. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात (Allow) किये गये मतदाताओं की संख्या .....
    3. मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया — सदस्य पद के लिए .....
    4. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या .....
12. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने, मतदान किया :— पुरुष ..... महिला ..... थर्ड जेंडर..... योग .....
13. अभ्याक्षेपित (चैलेन्जड) मत — अनुमत संख्या ..... अस्वीकृत संख्या .....
    जब्त की गई धनराशि .....
14. निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या — सदस्य पद के लिए .....
15. सहयोगियों की सहायता से मतदान करने वाले .....

**मूल डेक का रिक्त परिशिष्ट-7 — डायरी का पहला पृष्ठ**

- **तत्समय भरें** — घटना घटते ही प्रविष्टि करें, समाप्ति पर नहीं।
- **मद 12** — पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर/योग — चिन्हित प्रति के ✓ और * से बनती है।
- **मद 21** — समयवार मत — चार खण्ड; 10:00, 13:00, 15:00 और समाप्ति पर TOTAL से अंक लें।
- **मद 29 एवं 30** — नई मशीन की घोषणाएँ; मॉक पोल एवं परिशिष्ट-19 का विवरण।

# मूल डेक के अंतिम 23 पृष्ठ — रिक्त प्ररूपों का संग्रह

पूरक

| पृष्ठ | प्रपत्र | किस काम |
|---|---|---|
| 95–96 | प्ररूप 9, 10 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति एवं प्रतिसंहरण |
| 97–98 | प्ररूप 12, 13 | दृष्टिहीन/शिथिलांग की सूची; चुनौती मतों की सूची |
| 99–100 | प्ररूप 14-क, 14-ख | मतदाताओं का रजिस्टर; निविदत्त मतों की सूची |
| 101–102 | प्ररूप 14-ग | मतों का लेखा (भाग-1 बूथ पर, भाग-2 गणना-मेज पर) |
| 103–105 | प्ररूप 15, 15-क, 16 | EDC हेतु आवेदन; डाक मतपत्र हेतु आवेदन; EDC |
| 106–107 | परिशिष्ट-6 | पीठासीन की तीनों घोषणाएँ |
| 108–112 | परिशिष्ट-7 एवं 8 | डायरी (30 मदें) तथा 14-ग का भरा नमूना |
| 113–117 | परिशिष्ट 9–13 | थानाधिकारी को पत्र; आयु-घोषणा व सूची; साथी की घोषणा; चैलेंज रसीद बुक |

**जो इस संग्रह में भी नहीं है**

परिशिष्ट-19 (मॉक पोल प्रमाण-पत्र) का रिक्त प्ररूप इन 23 पृष्ठों में भी नहीं है, जबकि वह हर बूथ पर भरा जाता है। उसे मार्गदर्शिका (मु.पृ. 131) से लेकर सामग्री में रखवाएँ — दो प्रतियाँ दी जाती हैं।

स्रोत: मूल डेक पृ. 95–117 (रिक्त विहित प्रपत्र)

समापन

# मूल प्रस्तुति का अपना अनुरोध — और इस संस्करण की सीमा

- **मूल डेक का नोट** — यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है; किसी संशय की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम एवं आयोग के निर्देशों और वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें, तथा रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य सम्पादित करें।
- **इस संस्करण की सीमा** — यहाँ किए गए सुधार नियमों, आयोग के आदेशों एवं मार्गदर्शिका के आधार पर हैं, और प्रत्येक स्लाइड पर स्रोत अंकित है — किन्तु ये आयोग का आदेश नहीं हैं।
- **कक्षा में ले जाने से पहले** — जो बिन्दु 'सुधार' चिन्हित हैं, उन्हें अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से एक बार पुष्ट कर लेना उचित होगा।

> **जो जानबूझकर नहीं बदला गया**
> जिन पंक्तियों का आधार नहीं मिला, उन्हें 'सुधार' नहीं कहा गया — जैसे 200 मीटर में दल के कार्यालय वाली शर्त, जो मूल डेक की अपनी है और नियमों में अलग से नहीं मिली।

स्रोत: मूल डेक: सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण प्रस्तुति, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (पृ. 118)